कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर–(छ.ग.)
जोन क.–5

ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. – 0771 4045819

क्रमांक/1624/राज./जोन क. 5/न.पा.नि./2020 रायपुर, दिनांकः05/03/2020

// निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर पालिक निगम, रायपुर की नीचे दर्षित पार्किंग की वसूली हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार/संस्था से **(01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक)** के लिए बंद लिफाफे में दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर के किसी भी डाक घर से मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि का डी.डी. जो राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी. डी. एवं आधार कार्ड की प्रति द्वितीय लिफाफा में निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा **दिनांक 16/03/20** को शाम **5.30 बजे** तक जोन क्र. 05 को प्राप्त हो जाना चाहिए। समय उपरांत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 17/03/20** को **दोपहर 4.00** बजे जोन क्र. 05 नगर पालिक निगम रायपुर में खोली जावेगी। निविदा हेतु पार्किंग आदि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्रमांक	पार्किंग का नाम	निविदा खोलने का दिनांक	ऑफसेट दर	अमानती दर
1	2	3	4	5
1	अनुपम गार्डन पार्किंग	निर्धारित स्थान पर	331000	82750

निविदा हेतु आवेदन का प्रारूप एवं शर्तें नगर पालिक निगम रायपुर के वेब साईड www.nagarnigamraipur.nic.in पर अथवा नगर पालिक निगम के जोन क्र. 05 तथा मुख्यालय के कार्यालय से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन क्र. 05
नगर पालिक निगम,रायपुर

नगर निगम रायपुर में प्रचलित/संचालित पार्किंग के नीलामी दरें नियम एवं शर्तें

// वित्तीय वर्ष 2020–21 //

1. निविदा दाता के आधार कार्ड की छायाप्रति लिफाफा में डी.डी. के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदाएं प्रारूप में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायपुर शहर स्थित किसी भी डाक घर के माध्यम से रायपुर में रायपुर में दिनांक 16.03.2020 को कार्यालयीन अवधि तक जमा की जा सकेगी। निविदाएं दिनांक 17.03.2020 को दोपहर 4.00 बजे मुख्य कार्यालय जोन क्र. 05 नगर पालिक निगम रायपुर में सक्षम अधिकारियों के समक्ष खोली जावेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उस पार्किंग के लिए निर्धारित धरोहर/अमानती राशि की बैंक डी. डी. राष्ट्रीयकृत बैंक का आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से निविदा के प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं आधार कार्ड की प्रति तथा द्वितीय लिफाफा में निविदा दर रहेगा। प्रथम लिफाफा को पहले खोला जावेगा, निर्धारित डी.डी. एवं आधार कार्ड की प्रति होने पर ही द्वितीय लिफाफा निविदा दर खोली जावेगी।
3. प्रत्येक पार्किंग के लिए पृथक–पृथक निविदा जमा करना होगा।
4. निविदाएं आंषिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को होगा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
5. निविदा हेतु आवेदन का प्रारूप एवं नियम व शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी जोन क्रमांक 05, नगर पालिक निगम रायपुर में तथा वेब साईड www.nagarnigamraipur.nic.in से देखी जा सकेगी। ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021** तक के लिए होगी।
6. लिफाफे के ऊपर पार्किंग का नाम एवं दर दाता का नाम पूर्ण पता सहित होना चाहिए। निविदा निर्धारित प्रारूप में स्वच्छता से भरा जावें, काट–छाट होने पर निविदा अस्वीकार की जावेगी।
7. जिस दर दाता द्वारा अमानती राशि की डी.डी. प्रथम लिफाफे में नहीं पायी जायेगी। उसका द्वितीय लिफाफा निविदा दर का नहीं खोला जावेगा।
8. पार्किंग को निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में यदि कहीं पर व्यवस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। ठेका संचालित अवधि तक की राशि ही देय होगा। ठेका की शेष अवधि की अनुपातिक राशि वापस किया जावेगा।
9. समय–समय पर निगम की जो शर्ते/नियम संषोधित होंगे या किसी कारण वर्ष ठेका अवधि संशोधन की जायेगी तो दर दाता को मान्य करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर आयकर की टी.सी.एस. (TCS) टैक्स की राशि (ठेका राशि का 02 %) ठेका राशि के साथ ठेका राशि के अतिरिक्त एक मुश्त जमा कराना होगा।

11. निविदा प्रथम/द्वितीय (बंद लिफाफा) में पार्किंग का नाम निविदादाता का नाम लिखकर जोन आयुक्त 05 नगर पालिक निगम रायपुर, ईदगाह भाटा, पानी टंकी के नीचे, रायपुर के पते पर प्रेषित करें।

12. पार्किंग के निर्धारित दर अनुरूप ही वसूली किया जाना होगा।
पार्किंग वसुली दरें निम्नानुसार होगी :—
(अ) अनुपम गार्डन पार्किंग सायकल स्टैण्ड की दरें निम्नानुसार हैं—

1. साइकिल	02/— रू.
2. मोपेड स्कूटर, मोटर साइकिल	05/— रू.
3. कार, जीप, आटो, रिक्षा, ठेला	10/— रू.

13. निविदा के लिफाफे के ऊपर पर्किंग का नाम उल्लेखित किया जाना होगा। जिस लिफाफे में उल्लेख नहीं होगा वह मान्य नहीं किया जा सकेगा।

14. प्राप्त निविदा जो भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर सीलबंद पेटी में जोन आयुक्त के कार्यालयीन कक्ष में रखी जावेगी, जिसे निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार जोन आयुक्त के समक्ष खोला जावेगा।

15. ठेके की अवधि **01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक** के लिए होगी, किन्तु निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तों को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल कर सकेंगे। निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर ठेके की राशि एक मुश्त तीन दिन में जमा करना होगा।

16. निविदा स्वीकृत होने पर शासन के नियमों के तहत् निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन स्वंय के व्यय पर ठेकेदार को कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भविष्य में कभी किसी भी प्रकार कि आपत्ति पर शासन को देय रजिस्ट्री शुल्क के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

17. निविदादाता को सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा कर अनुबंध का निष्पादन स्वयं के व्यय पर कराना होगा अन्यथा जमा अमानत राशि डी.डी. राशि को राज—सात कर ली जावेगी।

18. किसी भी विवाद कि स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित ठेकेदार निगम आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। निगम आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

19. भूगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शाई गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित ठेकेदार को जमा कराना होगा तत्पश्चात् ही उनकी अपील पर विचार होगा।

20. पार्किंग समूह का निरीक्षण नगर निगम के महापौर/सभापति/ आयुक्त/जोन आयुक्त/उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/सहायक राजस्व अधिकारी कभी भी कर सकते है एवं स्थल में उनके द्वारा दिये गये निर्देश/सुक्षाव का पालन ठेकेदार को करना होगा।

21. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा।

22. ठेकेदार जिन पर निगम की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।

23. यह कि निविदादाता को शासन/नगर पालिका निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर किसी भी समय निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा तथा समस्त जमा राशि राजसात कर जी जावेगी तथा निगम द्वारा अगले ही दिन विभागीय तौर पर पार्किंग की वसूली की जावेगी। विभागीय वसूली में प्राप्त राशि ठेका राशि से कम प्राप्त होने पर अंतर/कम राशि की वसूली संबंधित ठेकेदार से नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अध्याय 12 के तहत् वसूली की जावेगी।

25. निर्धारित तय दरों के अनुरूप वसूली हेतु आम जनता को दिखने योग्य स्थल पर तीन नग दर सूची (सूचना पटल) ठेकेदार को लगाना अनिवार्य होगा।

26. दर सूची नहीं पाये जाने पर प्रथम जांच में राशि 1000/- रू., दुसरे जांच में राशि 2000/- रू. एवं तीसरे जांच में राशि 5000/- रू. अर्थदण्ड वसूली किया जावेगा तथा चौथी बार में भी अगर दर सूची प्रदर्शित नहीं होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

27. वसूली रसीद नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित अनुरूप ही ठेकेदार द्वारा प्रिंट कराया जावेगा। स्थल जांच में अगर मौके पर अन्य रसीद बुक पायी जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

28. निविदा दर निर्धारित प्रारूप में अंको एवं शब्दो में भरा जावेगा तथा दरों में पारदर्शी सेलोटेप लगाना होगा। जिससे की किसी प्रकार की कांट-छांट की संभावना ना रहें।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

जोन आयुक्त
जोन क्र. 05
नगर पालिक निगम,रायपुर